# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

## उमर उजाला–दि0 07.11.2024

### वीडीए ने चार अवैध निर्माण किए सील

**वाराणसी।** वीडीए सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को चार अवैध निर्माण को सील कर दिया। भेलूपुर वार्ड में राजीव सिंह की ओर से दयाल टावर दुर्गाकुंड के सामने अवैध निर्माण चल रहा था। वहीं नगवां वार्ड के प्रदीप यादव की ओर से सामनेघाट पुल के नीचे वैष्णवी इंटरप्राइजेज,सारनाथ वार्ड के मणिकांत उपाध्याय की ओर से बेलवा बाबा में 350 वर्गमीटर और प्रेमप्रकाश दुबे की ओर से गोइठहां में 70 वर्गमीटर बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। ब्यूरो

## हिन्दुस्तान–दि0 07.11.2024

### वीडीए ने तीन अवैध निर्माणों को कराया सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को दुर्गाकुंड, गोइठहां और सामनेघाट में तीन अवैध निर्माण सील किए। दुर्गाकुंड में दयाल टॉवर में अवैध निर्माण सील हुआ गोइठहां, बेलवाबाबा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सामनेघाट पुल के नीचे एक कंपनी की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध निर्माण किया जा रहा था। उ

आज–दि0 07.11.2024

## चार निर्माणाधीन भवन हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर परिवर्तन टीम ने बुधवार को भेलूपुर स्थिति दुर्गाकुण्ड के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन निर्माण कर रहे गृहस्वामी राजीव सिंह का निर्माण कार्य रोकने के बाद उसे सील कर दिया। इस संबंध में अवर अभियंता ने बताया कि काररवाई रोकने के लिए विभाग ने नोटिस जारी की थी, लेकिन भवन स्वामी निर्माण कार्य जारी रखा। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, स्थानीय थाने की पुलिस के देख-रेख में भवन को सील कर दिया गया। जोनल अधिकारी की निर्देश पर अवर अभियंता ने निकटम थाने की अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया इसी प्रकार वार्ड नगवां के अन्तर्गत भवनस्वामी प्रदीप यादव बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कर रहा था। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने भवन को सील कर दिया और भेलूपुर थाने की अभिरक्षा में उसे सौंप दिया। वार्ड सारनाथ के अन्तर्गत मणिकांत उपाध्याय ने बेलवाबाबा में बिना मानचित्र स्वीकृत के भवन का निर्माण करा रहे थे और यही पर प्रेम प्रकाश दुबे भी भवन का निर्माण करा रहे थे। मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण विभाग ने निर्माण कार्य बंद करने की नोटिस भेजी थी, लेकिन दोनों भवन स्वामी ने भवन का निर्माण कार्य जारी रखा। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जयप्रकाश गुप्त पहुंचे और भवन में काम कर रहे मजदूरों का भगवाने के बाद उसे सील कर दिया। जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने सारनाथ थाने की अभिरक्षा में दोनों भवनों का सौंप दिया।

न्यायाधीश–दि0 07.11.2024

## वाविप्रा जोन 4 की प्रवर्तन टीम ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।इसके तहत 6 नवम्बर को आज दिनाक - 06.11.2024 कोसामनेघाट पुल के नीचे, वैष्णवी इंटरप्राइजेज द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।